UPLK010078282026

न्यायालय SPL.JUDGE(SC/ST ACT), Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (Smt. Neetu Pathak), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06198**

Criminal Misc. Cases/943/2026

श्रीमती श्याम कुमार आयु लगभग 57 वर्ष पत्नी मुन्नी लाल निवासिनी ग्राम गढ़हर मजरा सैदापुर, थाना माल, जिला लखनऊ।

बनाम

1–सव्रेश पाल पुत्र सियाराम,
2–राजेश पाल पुत्र सियाराम,
3–सूरज पाल पुत्र सियाराम,
4–रूपेश पुत्र गरीबे निवासीगणदेवीखेड़ा बॉझी चौराहा, थाना माल, जिला लखनऊ।

06–07–2026

1– पत्रावली पेश हुयी।

2– आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया

3– मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का परिशीलन किया।

आवेदिका श्याम कुमारी द्वारा बी0एन0एस0एस0 की धारा–173(4) के अन्तर्गत यह आवेदन थाने पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

4– आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि ''प्रार्थिनी का पुत्र रंजीत दिनांक 02–4–2026 को शाम करीब 7 बजे बांझी चौराहे पर जाकर सर्वेश पाल, राजेश पाल व सूरज पाल की दुकान पर जाकर समोसा लेकर खाया, रूपये टूटे नहीं थे, तो प्रार्थिनी के पुत्र ने 100 रुपये दिये, शेष बचे रुपये मांगने पर विपक्षीगण अपने चचेरे भाई रूपेश को बुला लिया और कहा सुनी करते हुए लात घूंसें व डण्डों से मारने पीटने लगे और कहा साले पासी की औलाद हमसे रुपया मांगता है। जब प्रार्थिनी को पता हुआ तो घर के पास ही 100 मीटर की दूरी पर दुकान है, वहां जाकर बीच बचाव करने लगी, तो विपक्षीगण प्रार्थिनी को भी मारने पीटने लगे और जमीन पर पटक दिया, जिससे प्रार्थिनी का दाहिना कान फट गया तथा विपक्षीगणों ने प्रार्थिनी के दोनों कानों की सोने की बाली नोच ली। चिल्लाने व चीखने पर काफी लोग इकट्ठा हो गये, तब विपक्षीगण प्रार्थिनी को छोड़ते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थिनी के शरीर पर जाहिरा चोटे आयी थी। प्रार्थिनी का पति जब घर आया तो प्रार्थिनी पति को लेकर उसी दिन करीब 9 बजे रात में थाने पर रिपोर्ट लिखाने गयी, थाना पुलिस माल ने सरकारी अस्पताल माल में चोटों का परीक्षण कराया और कहा जाओ तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली है। थाना पुलिस आज तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और न ही विपक्षीगणों के खिलाफ कोई कार्यवाही की। प्रार्थिनी के पति जब काम पर से शाम को घर आये तो उन्हे प्रार्थिनी लेकर रात 09 बजे थाना माल लखनऊ अपनी रिपोर्ट लिखाने गयी। जहाँ पर थाना पुलिस ने प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र माल में प्रार्थिनी के चोटो का परीक्षण कराकर अपने पास रख ली और प्रार्थिनी से

कहा आप की रिपोर्ट लिख लिया है प्रार्थिनी को घर वापस कर दिया। प्रार्थिनी को वाद मे मालूम हुआ कि तुम्हारी रिपोर्ट थाना पुलिस ने लिखी होती तो तुम्हे एक कॉपी थाने से मिलती। बाद मे प्रार्थिनी थाना पुलिस के पास गयी और कहा साहब हमारी रिपोर्ट जो आप ने लिखी है उसकी कॉपी हमे दे दीजिए, जिस पर थाना पुलिस अगले दिन कहकर टाल दिया। प्रार्थिनी काफी दिन तक थाने के चक्कर लगाती रही परन्तु उसे पुलिस द्वारा कोई कागज नही दिया गया। विपक्षीगण घटना के बाद से ही ताना देने लगे और कहने लगे कि तुम हम लोगो का कुछ नहीं कर पाओगे क्योकि सरकार व थाना पुलिस मेरी है चाहे जहाँ जाओ मेरा कुछ नही बिगाड़ पाओगे। प्रार्थिनी अनुसूचित जाति (पासी) है तथा विपक्षीगण पिछड़ी जाति गड़रिया (पाल) जाति के व्यक्ति हैं। उपरोक्त वाद के संबंध में कोई भी दीवानी सिविल वाद किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है ओर न ही किसी न्यायालय में विचाराधीन/लंबित नहीं है। विपक्षीगण किसी सरकारी अथवा अर्धसरकारी में कार्यरत नहीं हैं।''

5— आवेदिका की ओर से अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां तथा पुलिस आयुक्त, लखनऊ को प्रेषित पत्र की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं।

6— सुना एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया।

7— थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदिका श्रीमती श्याम कुमारी के प्रार्थना पत्र पर की जांच के क्रम में पाया कि दिनांक 02.04.2026 को विपक्षीगणसव्रेश पाल, राजेश पाल,सूरज पाल, तथा रूपेशके मध्य मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ था। इस संबंध में आवेदिका श्रीमती श्याम कुमारी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 07.06.2026 को मु0अ0सं0 125/2026 धारा 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द,ध तथा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेना सहायक पुलिस आयुक्त, मलिहाबाद द्वारा सम्पादित की जा रही है।

8— थाने की आख्या के अनुसार आवेदिका की लिखित तहरीर के आधार पर थाना माल पर मु0अ0सं0 125/2026 धारा 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द,ध तथा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त, मलिहाबाद द्वारा सम्पादित की जा रही है। चूंकि प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है।अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

9— आवेदिका श्याम कुमारी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—173(4) बी0एन0एस0एस0 खारिज किया जाता है।

(नीतू पाठक)
दिनांकः 06—07—2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6198

Digitally signed by Neetu pathak
Date: 2026.07.08 15:33:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court